न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 221/2020

1. वलवीर सिंह पुत्र इन्द्रादेवी पत्नी दीपचंद जाति कुम्हार निवासी छानीवडी त0 भादरा।

:- वादी

ब ना म

1. इन्द्रादेवी उर्फ इन्द्रदेवी पुत्री वुधराम पत्नी दीपचंद जाति कुम्हार निवासी गदरा हाल छानीवडी त0 भादरा।
2. राजमल जलंधरा
3. सूरजभान
4. कृष्णकुमार

(2 से 4) पुत्रान इन्द्रादेवी जाति कुम्हार निवासीगण छानीवडी त0 भादरा।

5. रतनसिंह
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री धर्मपाल बेरवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सतवीर बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी सावित होने के कारण मुताविक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा भनाई के खाता स0 23/19 के खसरा स0 637 की 5.1980है0 खसरा स0 639 की 0.8470है0 कुल 6.0450है0 वारानी खातेदारी प्रतिवादीया स0 1 इन्द्रादेवी उर्फ इन्द्रदेवी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। में से वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 को वहिस्सा वरावर के खातेदार घोषित किया जाता है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं 1 वलवीरसिंह, प्रतिवादी सं0 1 इन्द्रादेवी उर्फ इन्द्रदेवी, प्रतिवादी सं0 2 राजमल जलंधरा, प्रतिवादी सं0 3 सूरजभान, प्रतिवादी सं0 4 कृष्णकुमार व प्रतिवादी सं0 5 रतनसिंह को वहिस्सा वरावर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05.2.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:28:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रैक) भादरा
(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 221/2020

1. बलवीर सिंह पुत्र इन्द्रादेवी पत्नी दीपचंद जाति कुम्हार निवासी छानीबडी त0 भादरा।

:– वादीगण

ब ना म

1. इन्द्रादेवी उर्फ इन्द्रदेवी पुत्री बुधराम पत्नी दीपचंद जाति कुम्हार निवासी गदरा हाल छानीबडी त0 भादरा।
2. राजमल जलंधरा
3. सूरजभान
4. कृष्णकुमार
5. रतनसिंह

(2 से 5) पुत्रान इन्द्रादेवी जाति कुम्हार निवासीगण छानीबडी त0 भादरा।

6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री धर्मपाल बेरवाल **: वादी**

वकील श्री सतवीर बैनीवाल **: प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 05.2.2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा भनाई के खाता स0 23/19 के खसरा स0 637 की 5.1980है0 खसरा स0 639 की 0.8470है0 कुल 6.0450है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादीया स0 1 इन्द्रादेवी उर्फ इन्द्रदेवी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वाद भूमि विरासतन प्रतिवादी सं0 1 इन्द्रादेवी उर्फ इन्द्रदेवी ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो [illegible] लिहाजा [illegible] मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज [illegible] किया जाकर [illegible] को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त [illegible] प्रतिवादी सं 1 ता 5 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। व प्रति[illegible] सं 6 स्टेट को वकील वादी ने तर्क अंकित किया। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु बलवीर पुत्र इन्द्रादेवी उर्फ इन्द्रदेवी जाति कुम्हार निवासी छानीबडी के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:28:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

ग्राम भनाई खाता सं0 23/19 संवत 2073–77 प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम भनाई संवत 2050 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत छानीबडी प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादीया सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने भनाई के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 4 में वारिसप्रमाण पत्र में इन्द्रादेवी उर्फ इन्द्रदेवी के 5 पुत्र बलवीरसिंह, राजमल जलंधरा, सूरजभान, कृष्णकुमार व रतनसिंह के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। वाद भूमि रोही मोजा भनाई के खाता स0 23/19 के खसरा स0 637 की 5.1980है0 खसरा स0 639 की 0.8470है0 कुल 6.0450है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादीया स0 1 इन्द्रादेवी उर्फ इन्द्रदेवी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। में से वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

<u>कियात्मक आदेश</u>

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा भनाई के खाता स0 23/19 के खसरा स0 637 की 5.1980है0 खसरा स0 639 की 0.8470है0 कुल 6.0450है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादीया स0 1 इन्द्रादेवी उर्फ इन्द्रदेवी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। में से वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं 1 बलवीरसिंह, प्रतिवादी सं0 1 इन्द्रादेवी उर्फ इन्द्रदेवी, प्रतिवादी सं0 2 राजमल जलंधरा, प्रतिवादी सं0 3 सूरजभान, प्रतिवादी सं0 4 कृष्णकुमार व प्रतिवादी सं0 5 रतनसिंह को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन [illegible] डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2021 को [illegible] जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:28:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner